बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी

(ग्रामीण विकास विभाग)

आदेश

आ0सं0 BRDS- 538 / पटना, दिनांक 02/05/2019

ग्रा0वि0-09(BRDS)- 45/2017

बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी के आदेश संख्या BRDS-1395 दिनांक 08.11.2018-सह-पठित ज्ञापांक- BRDS-283 दिनांक 08.03.2019 द्वारा BRDS कर्मियों के पुनरीक्षित मानदेय का निर्धारण किया गया है। इस संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

1. परिवहन एवं शिक्षा भत्ता हेतु सम्मिलित रुप से निर्धारित उक्त राशि को दो भागों में विभक्त करते हुए आधा परिवहन भत्ता एवं आधा शिक्षा भत्ता के रुप में निर्धारित किया जाता है,
2. उक्त प्रकार से निर्धारित परिवहन भत्ता के 50% अतिरिक्त राशि का लाभ मात्र नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के कारण चलने-फिरने से मजबूर विकलांग कर्मियों के स्थान पर निम्न रुप से परिभाषित सभी दिव्यांग कर्मियों को प्रदान किया जायेगा:-

(i) दिव्यांग कर्मियों हेतु उक्त राशि का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प सं0 13062 दिनांक 12.10.2017 के अनुसार दिव्यांगता की परिभाषाएं निम्नवत है:-

(a) (क) **अंधापन-** "अंधापन" का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित हो।

(ख) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ग) बेहतर ऑख से दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अनाधिक, अथवा

(घ) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर,

(इ) **कम दृष्टि-** "कम दृष्टि वाले व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी दृष्टिक क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो, परंतु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में सम्भावनीय रूप से समर्थ हो,

(च) तेजाब अटैक से दृष्टि बाधित होने पर ।

(b) (क) **कम सुनाई देने की दिव्यांगता-** 'कम सुनाई देने की दिव्यांगता" सेबेहतर कान में बातचीत स्परूप की श्रेणी की आवृत्तियों में 60 (साठ) डेसिबल अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है,

(ख) तेजाब अटैक से मूक बधिर होने पर।

(c) (क) **चलने-फिरने की दिव्यांगता-** "चलने-फिरने की दिव्यांगता" सेहड्डियों, जोड़ों अथवा मांशपेशियों की दिव्यांगता (बौनापन सहित) अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज) अभिप्रेत है, जिससे अंगों के हिलने-डुलने में अत्यधिक बाधा हो।

(ख) **प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज)-** "प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज)" से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के आस-पास अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिषक आघात अथवा चोटों के परिणाम स्वरूप चलने-फिरने की असामान्य नियंत्रण भागीता के रूप में परिलक्षित होता है।

(ग) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सभी मामले, चलने-फिरने की दिव्यांगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज) की श्रेणी के अंतर्गत आयेंगे।

(घ) तेजाब अटैक से चलन दिव्यांगता ।

(d) (क) **मनोविकार-** "मनोविकार" से अभिप्रेत है सभी प्रकार के मनोरोग।

(ख) तेजाब अटैक से उत्पन्न मनोविकार।

(ii) **दिव्यांगता के कारण परिवहन भत्ता का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता-** केवल ऐसे कर्मी उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। इस हेतु उन्हें आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) सिविल सर्जन एवं इससे अन्यून के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हीं मान्य होगा,

(iv) सिविल सर्जन एवं इससे अन्यून चिकित्सीय पदाधिकारी समुचित जाँच पड़ताल के पश्चात स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेंगे, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करे, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के जारी किये जाने से तबतक इन्कार नहीं किया जायेगा, जबतक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात सिविल सर्जन एवं इससे अन्यून चिकित्सीय पदाधिकारी मामलें के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं और इस मामलें में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकते हैं।

3. उप विकास आयुक्त एवं इससे अन्यून पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित/अनुशंसित दिव्यांगता का लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की समीक्षा BRDS स्तर पर निम्न प्रकार से गठित समिति द्वारा की जायेगी:-

(i) श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - **अध्यक्ष**

(ii) श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई0गवर्नेंस एवं आई0टी0 - **सदस्य**

उक्त समिति द्वारा दिये गये एतदसंबंधि प्रस्ताव का अनुमोदन CEO, BRDS के स्तर से किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, BRDS का अनुमोदन प्राप्त है।

(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा

ज्ञापांक BRDS - 538 पटना, दिनांक 02/05/2019

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा

ज्ञापांक BRDS - 538 पटना, दिनांक 02/05/2019

प्रतिलिपि- श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव/ सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई0टी0, BRDS/ श्री मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक, BRDS/ प्रबन्धक, आई0टी0, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा

ज्ञापांक BRDS - 538 / पटना दिनांक 02/05/2019

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, BRDS, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

25.04.19

आयुक्त मनरेगा

प्रारूप

.संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण-पत्र सं0-.....तारीख-.....

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की दिव्यांगता दर्शाता हो ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
आयु.....लिंग.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी दिव्यांगता ग्रस्त है:-

(क) गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल)– दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहे (बी ए)– दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए)– दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल)– एक टांग प्रभवित (दायां या बायां) (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए)– एक बाह प्रभावित–(क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एस)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)।

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू)– मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

(viii) तेजाब अटैक से चलन दिव्यांगता

(ख) अंधापन अथवा अल्प दृष्टि–

(i) बी– अंधता

(ii) पी बी– आंशिक रूप से अंधता

(iii) तेजाब अटैक से दृष्टि दिव्यांगता

(ग) कम सुनाई देना

(i) डी– बधिर

(ii) पी डी– आंशिक रूप से बधिर

(iii) तेजाब अटैक से मूक बधिर दिव्यांगता

(घ) मनोविकार

(i) सभी प्रकार के मनोरोग

(ii) तेजाब अटैक से उत्पन्न मनोविकार

(उस श्रेणी को हटा दें, जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती/.....वर्षो..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में दिव्यंगता का प्रतिशत.....है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

(i) एफ– अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(iii) एल--उठाने के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(vi) एस–बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(viii) डब्ल्यू–चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के ज़रिये कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

(xi) आर डब्ल्यू–पढ़ने और लिखने के ज़रिये कार्य कर सकते/सकती हैं– हां/नहीं

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

*जो लागू न हो काट दें ।